

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : लोक अदालत / 2021 / 38 / 2021



दिनांक - 05.10.2021

निर्णय :-

प्रार्थी श्री नारायण प्रसाद पुत्र/पुत्री/पत्नी युनाफ
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ऊंटवालिगा पटवारी मण्डल थैलाज
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्बन्ध के खाता संख्या 116 में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति नारायण राम प्रसाद अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है,
जिसे सम्मानजनक रूप से नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का थैलाज से करवाने पर पटवारी ने नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ के
बजाय नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में
नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ के बजाय नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम ऊंटवालिगा के खाता संख्या 116 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति
नारायण राम प्रसाद के स्थान पर नारायण प्रसाद पुत्र युनाफ
करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

05.10.21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

1210
9-10-21

